संख्या-23/2018/1708जेड/6-सा-3-2018-50जी/2017टीसी

प्रेषक

राजन शुक्ला,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक/सचिव,
उ०प्र० स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद्,
लखनऊ।

राजनैतिक पेंशन अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 08 अक्टूबर, 2018

विषय: स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन, रीवर बैंक कॉलोनी, लखनऊ के जीर्णोद्धार हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि की (द्वितीय किस्त) व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4437/छ:-स्व0से0/2018 दिनांक04-09-2018 एवं शासनादेश संख्या 3/2018/171जेड/6-सा-3-2017-39जी/2017, दिनांक20-01-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-१ के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018-बी-1-375/दस-2018-231/2018,दिनांक 30-03-2018 में निर्गत दिशा-निर्देशों के क्रम में श्री राज्यपाल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन रीवर बैंक कॉलोनी,लखनऊ के जीर्णोद्धार/अनुरक्षण कार्यों के संबंध में अतिरिक्त रूप से (द्वितीय किस्त) अनुदान संख्या-28 के लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण आयोजनेत्तर-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा कल्याण कार्यक्रम-107-स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना-03-स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके आश्रितों को पेंशन-33-पेंशन/अनुतोषिक/ अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ मद में उपलब्ध बचत में से धनराशि **रू० 24,06,000 (रु०चौबीस लाख छः हजार मात्र)** की धनराशि दिए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं|

2- उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि उक्त धनराशि की मॉग जिस प्रयोजन हेतु की गयी है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

3- जिस मद से धनराशि पुनर्विनियोजित की जा रही है, में वित्तीय वर्ष 2018-19 में धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।

4- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर-150,151व154 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/ परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- केवल बजट व्यवस्था के उद्देश्य से पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि प्रदान की जा रही है। धनराशि स्वीकृत किये जाने के विषय में समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुये औचित्य का परीक्षण कर लेंगे तथा सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुरूप धनराशि के उपयोग का सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा।

6- उक्त कार्यों को कराये जाने हेतु नामित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

7- प्रथम किस्त के रूप में स्वीकृत धनराशि के 75 प्रतिशत अंश का उपयोग होने एवं कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिये जाने के उपरान्त ही स्वीकृत धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

8- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित प्रावधानों का अनुपालन करते हुये समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

9- उक्त धनराशि को एकमुश्त ना आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय किया जायेगा तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पी०एल०ए०/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

10- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना है।

11- 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

12- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलो में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों एवं स्थायी आदेशों के अन्तर्गत संक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

13- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

14- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-28-लेखाशीर्षक-2251-सचिवालय-सामाजिक-सेवाएं-आयोजनेत्तर-200-अन्ययोजनाएं-03- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन-29-अनुरक्षण मद के नामे डाला जायेगा तथा उक्त अनुदान के ही लेखाशीर्षक-2235-सामजिक सुरक्षा तथा कल्याण आयोजनेत्तर-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा कल्याण कार्यक्रम-107-स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना-03-स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके आश्रितों को पेंशन-33-पेंशन/अनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ मद की सम्भावित बचत से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

भवदीय

(राजन शुक्ला)
प्रमुख सचिव।

संख्या-23**/2018/**1708**(1)जेड/6-सा-3-2018**,**तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित;

1- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/दवितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/दवितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट/प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन,15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।

4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।

5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

6- जिलाधिकारी, लखनऊ।

7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-12, उत्तर प्रदेश शासन।

8- आहरण एवं वितरण अधिकारी।

9- राजनैतिक पेंशन अनुभाग-1/2/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन।

10- अधीक्षक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन रीवर बैंक कॉलोनी, लखनऊ।

11- गार्डबुक।

आज्ञा से,

(सूर्य कुमार)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in